

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

फौज.प्र.क. : 975 / 2014

संस्थित दि: 27 / 10 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

दिलीप गढ़वाल, पिता सुनउ गढ़वाल, उम्र 42 साल,

निवासी बिठली थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 27 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 11.10.2014 को समय 07:40 बजे स्थान आरोपी का कच्चा टपरा ग्राम बिठली (राजू किराना स्टोर के सामने) थाना रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में दो प्लास्टिक के डिब्बों में तीन लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब एवं देशी प्लेन मदिरा चार पांव तथा देशी गोवा मदिरा दो पांव व इम्प्रीरियल ब्लू मदिरा एक पाव शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी बिठली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आर.गोस्वामी दिनांक 11.10.2014 को जुर्म जयराम की पतासजी हेतु हमराक आरक्षक 1172, 1264, 1147 के साथ रवाना हुआ तो उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिलीप गढ़वाल अपनी होटल के टापरा में देशी हाथ भट्टी शराब अवैध रूप से विक्री करने की नियत से रखे हुए है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक के डिब्बों में तीन लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब एवं देशी प्लेन मदिरा चार पांव तथा देशी

गोवा मदिरा दो पांव व इम्प्रीरियल ब्लू मदिरा एक पाव शराब अवैध रूप से रखे पाया गया। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 123/14 अन्तर्गत 34(क) आबकारी अधिनियम के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक 11.10.2014 को समय

07:40 बजे स्थान आरोपी का कच्चा टपरा ग्राम

बिठली (राजू किराना स्टोर के सामने) थाना

रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में दो

प्लास्टिक के डिब्बों में तीन लीटर देशी हाथ भट्टी

महुआ की कच्ची शराब एवं देशी प्लेन मदिरा चार

पांव तथा देशी गोवा मदिरा दो पांव व इम्प्रीरियल

ब्लू मदिरा एक पाव शराब अवैध रूप से बिना

अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपी को आवकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा तीन लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब एवं देशी प्लेन मदिरा चार पांव तथा देशी गोवा मदिरा दो पांव व इम्प्रीरियल ब्लू मदिरा एक पाव शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट